माननीय सभापति द्वारा 13 अगस्त, 2007 को निर्वाचित होने पर उन्हें दी गई बधाइयों के उपरान्त उनके द्वारा दिया गया भाषण

13, अगस्त, 2007
नई दिल्ली।

भारतीय संसद में वह व्यक्ति तब एक हस्ती बन जाता है जब करोड़ों लोगों के बीच में से उसे आपके सार्वभौमिक निर्णय द्वारा गणतंत्र की इस महती सभा के तेरहवें सभापति के पद को सुशोभित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्पष्टत: यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विशेषता है। इतना ही स्पष्ट सौंपी गई दोहरी जिम्मेदारियों का भार है। कार्य की व्यापकता विनम्रता लाती है।

मैं आपके द्वारा गर्मजोशी से किए गए स्वागत और इस पद के लिए आपने मेरे नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया, उससे अभिभूत हुआ हूं। आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता के साथ और भेदभाव के बिना निर्वहन करने के लिए पूरा प्रयास करने और इस सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा और बचाव करने का हर संभव प्रयास करने का प्रण करता हूं।

हमारा संसदीय लोकतंत्र है जिसका स्वरूप और उद्देश्य संविधान में उल्लिखित है। इसकी संस्थाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। फिर भी, हमें उनके और उनकी संचालन प्रक्रिया के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराने और पुन: ताजा करने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था में मेरी दाईं ओर विराजमान सत्ता पक्ष और बायीं ओर विराजमान विपक्ष, दोनों ही समान भूमिका अदा करते हैं। यहाँ इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है कि मैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की श्रद्धेय स्मृति में उनके द्वारा इस सभा में कहे गए शब्दों को याद करते हुए उद्धृत करता हूं: "लोकतंत्र इसलिए विशिष्ट है, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है। यदि लोकतंत्र विपक्ष को सरकार की नीतियों की निष्पक्षता, स्वतंत्रतापूर्वक और स्पष्ट तौर पर आलोचना करने की अनुमति नहीं देता है तो लोकतंत्र के निरंकुश हो जाने की संभावना हो जाती है। लेकिन साथ में, विपक्ष के अपने उत्तरदायित्व भी हैं। उन्हें आलोचना करने का पूरा अधिकार है, आलोचना करने का उनका अधिकार संसद के कार्य में जानबूझकर बाधा डालने और उसे रोकने में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी समूहों के अपने-अपने अधिकार तथा अपनी-अपनी जिम्मेदारियां हैं।"

इतने वर्षों में इस सभा ने कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया और परिपाटियां विकसित की हैं। इन्हें सभापीठ को दी गई व्यवस्थाओं द्वारा परिवर्द्धित किया गया है। इन व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण संग्रह

बन गया है। सभापीठ को सौंपा गया कर्तव्य यह सुनिश्चित करने का है कि सभी इन नियमों से संचालित हों। हॉकी या फुटबाल के खेल में रेफरी के पास उसकी कमीज की जेब में रंगीन कार्ड होता है। तथापि, एक अच्छा खेल वही होता है जिसमें ये रंगीन कार्ड निकालने की जरूरत न पड़े। यह मेरी दिली-तमन्ना है कि अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए ही हमारा साझा प्रयास होगा।

माननीय सदस्यगण, यद्यपि मैं इस महती सभा में नया हूं, परन्तु एक नागरिक के रूप में मैं इसकी बहसों से अनभिज्ञ नहीं हूं। राष्ट्रीय कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया गया है, किया जाता रहा है और किया जाएगा। तथापि, बढ़ती हुई अपेक्षाओं के युग में हमारा कार्य लोगों की और विशेषकर समाज के गरीब तबकों की बदलती अवधारणाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। आखिरकार, वही हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

विकास के लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की चुनौती हमारे सामने है। पर्याप्त समानता और सार्थक भाईचारे के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की चुनौती भी है। ऐसा करने की इच्छा इसका एक पहलू है। संस्थागत दक्षता और वितरण प्रक्रिया दूसरा पहलू है। दोनों ही बदलाव की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। विलंब मामलों को बढ़ाता है। हमें मैकाले की चेतावनी को याद करने की जरूरत है : "लोगों की ज्यादतियां उनके विरुद्ध निर्देशित होती है जिनके संबंध में उन्हें सार्वजनिक हित में हस्तक्षेप की आशंका होती है।" इनमें से प्रत्येक बात लोगों के प्रतिनिधियों को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी अधिरोपित करती है। कुछ दिन पहले मेरे सम्मानित पूर्ववर्ती ने सही टिप्पणी की थी कि "लोकतंत्र में शासन की गुणवत्ता संसद में किए गए कार्य की गुणवत्ता पर काफी निर्भर करती है।"

मैं सुझाव दूंगा कि इस बारे में जागरूकता का होना सार्वजनिक अपेक्षाओं को पूरा करने में पहला कदम होगा।

मैं उर्दू के एक शेर, जो कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मार्गदर्शन करता रहा है, को कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं:

जुस्तजू है जिन्दगी, जू-ए-तलब है जिन्दगी
जिन्दगी का राज लेकिन दूरी-ए-मंजिल में है।

मैं पुन: स्वागत के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।